प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 21 मार्च, 2023

विषयः कोषागारों द्वारा ई-पेमेण्ट के माध्यम से पेंशन का भुगतान।

महोदय,

निदेशक, पेंशन के पत्रांक पे0नि0/कम्प्यू/ई-पेंशन/2023 दिनांक 10 मार्च, 2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कतिपय अधिकारी/कर्मचारी अपनी पेंशन का भुगतान प्रदेश के बाहर स्थित बैंक में खुले खाते में प्राप्त करना चाहते हैं, परन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में इन प्रकरणों में कोषागार स्तर पर कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है । निदेशक, पेंशन द्वारा इस संबंध में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

2- कोषागारों द्वारा ई-पेमेण्ट के माध्यम से पेंशन का भुगतान किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-26/2016/सा-3-592/दस-2016-85एल0सी0/2016 दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी शेड्यूल्ड बैंक जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 11 कैरेक्टर वाला मानक आई0एफ0एस0सी0 कोड आवंटित हो, में अपना खाता खोल सकते हैं ।

3- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर प्रदेश के बाहर स्थित बैंक में अपना खाता उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10 अगस्त, 2016 की व्यवस्थानुसार खोल सकते हैं ।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाये ।

4- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।